गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 172वीं बैठक दिनांक 19.01.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 172वीं बैठक दिनांक 19.01.2024 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
8.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
9.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
10.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
11.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
13.	डॉ0 बबिता माझी	सदस्य
14.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
15.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
16.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक कार्यवाही प्रारंभ के पूर्व अपने प्रारंभिक उद्बोधन में दो दिवसीय मध्य क्षेत्र कुलपति समागम के सफल आयोजन पर सभी को बधाई दी एवं संस्था के प्रति प्रेम भाव की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 01.07.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 01.07.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायीं समिति की 171वीं बैठक दिनांक 01.07.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 01.07.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

Mcell- I\SC\..\ SC 19-01-2024

19/01/24

19/01/2024

विषय क्र. 03. **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु रोस्टर एवं विज्ञापन में संशोधन के संबंध में विचार।**

निर्णय :— निर्णय लिया गया कि, रोस्टर समिति की बैठक दिनॉक 16.01.2024 में प्रस्तावित किये गये रोस्टर एवं विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को अनुमोदित किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि, पूर्व में प्रसारित विज्ञापन क्र. 1623/भर्ती/प्रशा./2023 दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से विज्ञापित पद जिनके साक्षात्कार अभी नहीं हुये हैं उन्हें भी शामिल करते हुये रिक्तियों के साथ नवीन विज्ञापन जारी किया जाय। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व विज्ञापन में आवेदन किया हो तथा, जिन पदो का साक्षात्कार शेष है, उन्हें आवेदन करना होगा परंतु इन्हे आवेदन शुल्क जमा करने से छूट होगी।

यह और भी निर्णय लिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रसारित विज्ञापन क्र. 1623/भर्ती/प्रशा./2023 दिनांक 03.10.2023 में सामन्य श्रेणी के रिक्त पदों पर आवेदन प्रस्तुत किये थे परंतु रोस्टर के समायोजन पश्चात उन पदों की श्रेणी सामान्य के स्थान पर दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित की गई है उनके आवेदन शुल्क वापस कर दिये जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि विज्ञापन में जहॉ आवश्यकता हो अभ्यर्थीयों से उनके पूर्व सेवा/कार्यानुभव के समर्थन में अनुभव प्रमाण—पत्र के साथ—साथ संबंधित वर्षों के फार्म—16/आयकर रिटर्न के भी दस्तावेज प्राप्त किये जाये।

विषय क्र. 04. **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में 4जी कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 2 आर.टी.टी. (रूफ टॉप टावर) की स्थापना के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में 4जी कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 2 आर.टी.टी. (रूफ टॉप टावर) की स्थापना के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 05. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और The University at Albany, State University of New York, USA के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और The University at Albany, State University of New York, USA के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 06. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Code F Solutions Pvt. Ltd., Nagpur के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Code F Solutions Pvt. Ltd., Nagpur के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 07. **डॉ0 राजेश कुमार मिश्रा, निदेशक, स्टेट एफएसएल, रायपुर को फॉरेंसिक साइंस विभाग में एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति किये जाने पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ0 राजेश कुमार मिश्रा, निदेशक, स्टेट एफएसएल, रायपुर को फॉरेंसिक साइंस विभाग में एडजंक्ट फैकल्टी नियुक्त किये जाने संबंध प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

19/01/24

19/01/2024

विषय क्र. 08. **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.01.2024 में दिये गये अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.01.2024 में दिये गये अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय तथापि स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता को बैठक में हुए चर्चानुसार संशोधित किया जाय।

विषय क्र. 09. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी "Sustainable and Vibrant University Industry Linkage system for Indian Universities" के क्रियान्वयन के संबंध में।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी "Sustainable and Vibrant University Industry Linkage system for Indian Universities" के क्रियान्वयन संबंधी दिशा–निर्देशों को अंगीकृत किया जाय।

विषय क्र. 10. **संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 29.12.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 11. **विश्वविद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि (पी.एम.बी.जे.के.) प्रारंभ करने के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विषय स्थगित रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 बैठक के दौरान गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के मध्य एमओयू किये जाने हेतु समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अ.अ.वि.क्र.2 बैठक के दौरान रसायन विभाग के द्वारा यहं सूचना प्रस्तुत किया गया कि रसायन विभाग में नियुक्त एडजंक्ट प्रोफेसर लगातार सम्पर्क करने के बावजूद भी कोई प्रतिउत्तर या जवाब नहीं दे रहें है। विभाग से प्राप्त सूचना एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रो0 अनामिक शाह की एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति समाप्त कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

19/01/24 — 19/01/2024

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**